

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, मा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), कैमूर (भभुआ),
पटना, नवादा एवं औरंगाबाद।

पटना, दिनांक-

विषय:- विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रु० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से पंचम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन / एफ०आई०आर०
1	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी),	BIH_PURBI_2025_110964	सोनू कुमार	22.02.2025	66/25
2		BIH_PURBI_2025_110825	बाबुल कुमार	18.01.2025	39/25
3		BIH_PURBI_2025_110824	आकाश कुमार	18.01.2025	39/25
4		BIH_PURBI_2024_110746	मुन्ना हुसैनी	18.12.2024	338/24
5		BIH_PURBI_2024_110745	आयुष कुमार	18.12.2024	338/24
6		BIH_PURBI_2024_110079	विवेक कुमार	25.06.2024	205/24
7		BIH_PURBI_2025_110827	राजनंदन कुमार	22.01.2025	19/25
8		BIH_PURBI_2024_110343	रूपेश कुमार	31.08.2024	373/24
9		BIH_PURBI_2025_110995	सुबोध कुमार	28.02.2025	40/25
1	कैमूर (भभुआ)	BIH_KAIMU_2025_110940	रितेश कुमार	15.02.2025	107/25

1	पटना	BIH_PATNA_2024_110054	रविश कुमार	21.06.2024	551/24
2		BIH_PATNA_2024_110410	शाहिल कुमार	18.09.2024	630/24
3		BIH_PATNA_2024_110058	रौशन कुमार	21.06.2024	551/24
4		BIH_PATNA_2024_110608	धनराज कुमार	25.10.2024	620/24
5		BIH_PATNA_2024_110609	प्रेम कुमार	25.10.2024	620/24
6		BIH_PATNA_2024_110409	शिवम कुमार	18.09.2024	630/24
7		BIH_PATNA_2024_110048	चिराग कुमार	24.06.2024	520/24
8		BIH_PATNA_2024_110258	रोहित कुमार	05.07.2024	536/24
9		BIH_PATNA_2024_110257	अंशु कुमार	05.07.2024	536/24
1	नवादा	BIH_NAWAD_2025_111023	कुंदन कुमार	11.03.2025	122/25
2		BIH_NAWAD_2024_110722	संदीप कुमार	12.12.2024	744/24
3		BIH_NAWAD_2025_110855	शंकर कुमार	23.01.2025	48/25
1	औरंगाबाद	BIH_AURAN_2023_109396	मुन्ना कुमार	05.12.2023	263/23

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री रात कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अध्याचना का विवरण।
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी),	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	36570264808	SBIN0000137	09	09@25000	2,25,000	पत्रांक-660 दिनांक-15.05.2025
कैमूर (भभुआ),	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ),	36454025761	SBIN0001099	01	01@25000	25,000	पत्रांक-268 दिनांक-24.03.2025
पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	36502035006	SBIN0018815	09	09@25000	2,25,000	पत्रांक-2325 दिनांक-24.05.2025
नवादा	जिला पदाधिकारी, नवादा	36466306691	SBIN0000141	03	03@25000	75,000	पत्रांक-572 दिनांक-19.05.2025
औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	36431454017	SBIN0000013	01	01@25000	25,000	पत्रांक-562 दिनांक-16.05.2025
कुल				23	23@25000	5,75,000/- (पाँच लाख पचहत्तर हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरान्त साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), कैमूर (भभुआ), पटना, नवादा एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०..... 3315

पटना, दिनांक 10/06/2025

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/6/25

श्रमायुक्त, बिहार